अनुदान संख्या 44 - पशुपालन और डेयरी विभाग
GRANT No. 44 - DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4693,57,00		4693,60,00	3451,23,65	-1242,36,35
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					876,97,09
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			237,67,00	198,00,87	-39,66,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					36,04,82

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएँ	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4969.00	5990.00	5694.88	-295.12
पु.	R.	1021.00			
मुख्य शीर्ष "2403"	Major Head "2403"				
पशुपालन	Animal Husbandry				
मू.	O.	269398.00			
पू.	S.	1.00	250889.44	229674.81	-21214.63
पु.	R.	-18509.56			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2404"	Major Head "2404"				
डेयरी विकास	Dairy Development				
मू.	O.	78700.00	60151.97	46766.84	-13385.13
पु.	R.	-18548.03			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	43150.00	19.70	..	-19.70
पु.	R.	-43130.30			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	69630.00	62928.33	61306.06	-1622.27
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-6702.67			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	3510.00	1683.47	1681.06	-2.41
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-1827.53			

(I) ₹43151.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹43100.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "पशुपालन – मवेशी और भैंस विकास – विकास कार्यक्रम" – ₹5000.00 लाख;

(खा) "पशुपालन – पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य" –

(क) "विकास कार्यक्रम" – ₹2300.00 लाख;

(ख) "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹21477.00 लाख;

(गा) "डेयरी विकास – डेयरी विकास परियोजनाएं – विकास कार्यक्रम" – ₹641.00 लाख;

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "विकास कार्यक्रम" – ₹1279.00 लाख;

(ख) "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹4425.00 लाख;

(ड.) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "विकास कार्यक्रम" – ₹3180.00 लाख; और

(ख) "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹4798.00 लाख।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर

(I) Provision of ₹43151.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025) remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹43100.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads: -

(A) "Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development - Development Programmes"- ₹5000.00 lakhs;

(B) "Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health" -

(a) "Development Programmes" - ₹2300.00 lakhs;

(b) "Livestock Health and Disease Control Programme" - ₹21477.00 lakhs;

(C) "Dairy Development - Dairy Development Projects - Development Programmes" - ₹641.00 lakhs;

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "Development Programmes" - ₹1279.00 lakhs;

(b) "Livestock Health and Disease Control Programme" - ₹4425.00 lakhs;

(E) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Development Programmes" - ₹3180.00 lakhs; and

(b) "Livestock Health and Disease Control Programme" - ₹4798.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to re-appropriation of part

उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2403" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य – भारतीय पशु चिकित्सा परिषद" – ₹869.01 लाख की बचत (₹1374.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) और पशु कल्याण बोर्ड के भवन का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(खा) "मवेशी और भैंस विकास" –

(क) "नस्ल सुधार संस्थान" – ₹561.34 लाख की बचत (₹3369.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और मितव्ययिता उपायों के कारण हुई।

(ख) "विकास कार्यक्रम" – ₹24060.49 लाख की बचत (₹46900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹29241.65 लाख की बचत (₹34554.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹13078.15 लाख की बचत (₹16027.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत नई निधि प्रवाह

funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2403" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Veterinary Services and Animal Health - Veterinary Council of India" - saving of ₹869.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1374.00 lakhs) was due to non-completion of building construction work of Veterinary Council of India (VCI) and Animal Welfare Board.

(B) "Cattle and Buffalo Development" -

(a) "Breed Improvement Institutes" - saving of ₹561.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3369.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "Development Programmes" - saving of ₹24060.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments/Implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Livestock Health and Disease Control Programme" - saving of ₹29241.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34554.00 lakhs); and

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Livestock Health and Disease Control Programme" - saving of ₹13078.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16027.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due

प्रणाली के कार्यान्वयन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुपालन में विलंब किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

to implementation of new fund flow mechanism, delay in compliance by States/UTs and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "2404" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2404" - savings occurred under the following heads:-

(का) "डेयरी विकास परियोजनाएँ" –

(A) "Dairy Development Projects" -

(क) "दिल्ली दुग्ध योजना" – ₹24135.19 लाख की बचत (₹37900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एफएसएसएआई द्वारा डीएमएस का लाइसेंस निलंबित किए जाने की वजह से डीएमएस परिसर में सभी उत्पादन और खाद्य व्यवसाय गतिविधियों को रोक दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Delhi Milk Scheme" - saving of ₹24135.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37900.00 lakhs) was due to stopping of all production and food business activities at DMS premises owing to suspension of license of DMS by FSSAI.

(ख) "बुनियादी ढांचा विकास निधि" – ₹1290.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Infrastructure Development Fund" - saving of ₹1290.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(ग) "विकास कार्यक्रम" – ₹5901.81 लाख की बचत (₹16823.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Development Programmes" - saving of ₹5901.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16823.00 lakhs); and

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–विकास कार्यक्रम" – ₹806.32 लाख की बचत (₹2909.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Development Programmes" - saving of ₹806.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2909.00 lakhs).

बचत उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत टीएसए मॉड्यूल के कार्यान्वयन में देरी होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to delay in implementation of TSA Module.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" –

(A) "Other Transfer/Grants to States" -

(क) "विशेष सहायता – पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹2077.58 लाख की बचत

(a) "Special Assistance - Livestock Health and Disease Control Programme" - saving of

(₹42042.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹1849.77 लाख की बचत (₹6147.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत, नयी निधि प्रवाह प्रणाली के कार्यान्वयन, राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विलंबित अनुपालन तथा अव्ययित शेष राशि उपलब्ध होने की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹3365.07 लाख की बचत (₹11611.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – विकास कार्यक्रम" – ₹583.92 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत नई निधि प्रवाह प्रणाली के कार्यान्वयन तथा राज्यों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विलंबित अनुपालन के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹1336.74 लाख की बचत (₹2368.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए निधि प्रवाह तंत्र के कार्यान्वयन तथा संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विलंबित अनुपालन के कारण हुई।

(VI) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1716.47 लाख की बचत हुई, जिसमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत

₹2077.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42042.00 lakhs); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Livestock Health and Disease Control Programme" - saving of ₹1849.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6147.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to implementation of the new Fund Flow Mechanism, delayed compliance by States and implementing agencies and receipt of less proposals owing to availability of unspent balances.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Livestock Health and Disease Control Programme" - saving of ₹3365.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11611.00 lakhs); and

(B) "Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Development Programmes" - saving of ₹583.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to implementation of the new Fund Flow Mechanism and delayed compliance by States and implementing agencies.

(V) Under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature - Special Assistance - Livestock Health and Disease Control Programme" - saving of ₹1336.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2368.00 lakhs) was due to implementation of the new Fund Flow Mechanism and delayed compliance by UTs and implementing agencies.

(VI) Under five heads saving of ₹1716.47 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent

से 59 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹40347.20 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2403" के अंतर्गत दिसंबर, 2024 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य – पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹16565.09 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8497.44 लाख था।

(खा) "कुक्कुट विकास – विकास कार्यक्रम" – ₹17902.11 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹17689.95 लाख था।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विकास कार्यक्रम" – ₹5880.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹649.08 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पशुपालन और डेयरी विभाग" – ₹725.88 लाख का अधिक व्यय (₹4969.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्ते, बिजली बिल, अधिक कर्मचारियों की भर्ती, चंद्रलोक भवन के कार्यालय स्थल का किराया, कार्यालय उपकरणों की खरीद, मरम्मत और रखरखाव तथा अधिक चिकित्सा दावों की प्राप्ति की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2403" – "कुक्कुट विकास – अवसंरचना विकास निधि" – ₹2231.18 लाख का अधिक व्यय (₹17000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 2020–21 से 2024–25 तक ब्याज अनुदान की प्रतिबद्ध देनदारियों और अधिक कार्मिकों की भर्ती के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

to 59 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above saving was partly (₹40347.20 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "2403" - under the following heads:-

(A) "Veterinary Services and Animal Health - Livestock Health and Disease Control Programme" - ₹16565.09 lakhs. Actual excess, however, was ₹8497.44 lakhs.

(B) "Poultry Development - Development Programmes" - ₹17902.11 lakhs. Actual excess, however, was ₹17689.95 lakhs.

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Development Programmes" - ₹5880.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹649.08 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Animal Husbandry and Dairying" - excess of ₹725.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4969.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and allowances, electricity bills, hiring of more manpower, office space rent of Chanderlok Building, procurement, repair and maintenance of office equipment and receipt of more medical claims.

(B) Major Head "2403" - "Poultry Development - Infrastructure Development Fund" - excess of ₹2231.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards committed liabilities of interest subvention from 2020-21 to 2024-25 and hiring of more manpower.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4403" पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4403" Capital Outlay on Animal Husbandry				
मू.	O.	5433.00	4830.18	4551.94	-278.24
पु.	R.	-602.82			
मुख्य शीर्ष "4404" डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4404" Capital Outlay on Dairy Development				
मू.	O.	3100.00	45.00	1.25	-43.75
पु.	R.	-3055.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4403" – "पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य – पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र" के अंतर्गत ₹730.09 लाख की बचत (₹1112.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4403" - "Veterinary Services and Animal Health - Centre of Excellence for Animal Husbandry" - saving of ₹730.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1112.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the CPWD for construction work.

(II) मुख्य शीर्ष "4404" – "डेयरी विकास परियोजनाएं – दिल्ली दुग्ध योजना" के अंतर्गत ₹3098.75 लाख की बचत (₹3100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीएमएस के स्थानांतरण की वजह से पुरानी मशीनरी और उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4404" - "Dairy Development Projects - Delhi Milk Scheme" - saving of ₹3098.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals for procurement of old machinery & equipment owing to transfer of DMS.